दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

119

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी निग – 3718 – पीबीआर–16

1. नारायणसिह पिता गिरवरसिंह जाति गेहलोत व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम बंजारी बेहरावल तेहसील शुजालपुर जिला शाजापुर (म0प्र0)
2. हरिप्रसाद पिता प्यार जी जाति गेहलोत व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम बंजारी बेहरावल तेहसील शुजालपुर जिला शाजापुर (म0प्र0)

......................आवेदकगण

श्री एच० सी० जैन अभि० द्वारा उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत।
20-10-16

विरूद्ध

1. गोरेलाल पिता लाड़सिंह जाति गेहलोत व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम बंजारी बेहरावल तेहसील शुजालपुर जिला शाजापुर (म0प्र0)
2. राजस्व निरिक्षक वृत 1 शुजालपुर जिला शाजापुर
3.पटवारी ग्राम बंजारी बहरावल तेहसील शुजालपुर जिला शाजापुर (म0प्र0)

......................अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भु–राजस्व संहिता अधिनस्थ न्यायालय नायब तेहसीलदार शुजालपुर तेहसील शुजालपुर जिला शाजापुर के प्रकरण क्रंमाक 49/A-12/ 2015-16 आदेश दिनांक 26.08.2016 सीमाकंन हेतु जारी की गयी कार्यवाही दिनांक 25.05.2016 से असन्तुष्ट होकर।

माननीय महोदय,

यहकि, आवेदकगण की और से निम्न लिखित निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है :–

प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य

यह कि, अनावेदक क्रंमाक 1 ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तेहसीलदार शुजालपुर तेहसील शुजालपुर जिला शाजापुर के यहां एक सीमाकंन का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129 मध्यप्रदेश भु–राजस्व संहिता का दिनांक 18.03.2016 प्रस्तुत किया, की उसकी भुमि सर्वे क्रंमाक 134/2 रकबा 0.369 हे0 का सीमाकंन किया जावे। इस पर न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रंमाक 2 व 3 को दिनांक 10-05-2016 को सीमांकन कर रिर्पोट न्यायालय मे प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया।

(6)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3718-पीबीआर/16 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एच.सी. जैन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा **54**(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २4-4-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	